

दिनांक 18.06.2019 को सांय: 03:00 बजे श्री आर.एस. वर्मा, भा0प्र0से0, उपायुक्त रोहतक की अध्यक्षता में NGT के आदेश दिनांक 06.03.2019 की अनुपालना हेतु जिला स्तरीय निगरानी समिति, रोहतक की बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट


बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री कृष्ण कुमार, आर.ओ., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बहादुरगढ़।
2. श्री नवीन धनखड़, कार्यकारी अभियन्ता, नगर निगम रोहतक।
3. डा0 अनिल, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
4. Dr. T.S. Bofri, उप सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग, रोहतक।
5. श्री सुखबीर सिंह, DMS, PGIMS, रोहतक।
6. श्री अरूण, सचिव, नगर पालिका, कलानौर।
7. श्रीमति सुमन लता, सचिव, नगर पालिका, सांपला।
8. श्रीमति कोमिला, सहायक सचिव, मार्केट कमेटी, रोहतक।
9. श्री सतीश कुमार, I.E.O.,
10. डा0 प्रवीन कुमार, Veterinary Surgeon, पशुपालन विभाग, रोहतक।
11. श्री एच.एस., नारंग, अधीक्षक, महर्षि दयानन्द युनिवर्सिटी, रोहतक।
12. श्री सतीश शर्मा, एस.डी.ई., O/o EE-1, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
13. श्री सुरजीत मलिक, एस.डी.ई., जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
14. श्री रणबीर सिंह, एस.डी.ई., लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा), रोहतक।
15. श्री युद्धविन्द्र मोर, एस.डी.ई., हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रोहतक।
16. श्री संजीव सैनी, DPRO, जनसंपर्क अधिकारी, रोहतक।
17. श्री कृष्ण कुमार, भू-अधिकारी, नगर निगम रोहतक।
18. श्री कांशी राम, वरिष्ठ प्रारूपकार, जिला नगर योजनाकार, टाउण्ड एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, रोहतक।

बैठक में सभी का स्वागत करते हुए सभी उपस्थित को दिनांक 29.04.2019 की बैठक के निर्देशों की पालना में निम्न बिन्दुओं पर समीक्षा की गई:-

1. उपायुक्त महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि सिंगल यूज प्लास्टिक/पौलीथीन बैग पर रोक लगाने के लिए केवल नगर निगम रोहतक द्वारा ही प्रयास किये जा रहे हैं व प्रतिबन्धित प्लास्टिक/पौलीथीन बैग बेचने वालों के चालान किये जा रहे हैं। इस संदर्भ में सचिव, नगर पालिका, कलानौर/सांपला/महम को निर्देश दिये गए कि वे दिनांक 24.6.2019 तक अधिक से अधिक चालान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
2. मार्केट कमेटी द्वारा सब्जी मण्डी से निकलने वाले गीले कूड़े के निष्पादन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिये गए कि कार्यकारी अभियन्ता, मार्केटिंग बोर्ड व सचिव, मार्केट कमेटी द्वारा दिनांक 30.06.2019 तक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा सूखे कूड़े के निष्पादन के लिए नगर निगम रोहतक से Agreement कर निर्धारित चार्ज जमा करवाना सुनिश्चित करें।
3. सिविल सर्जन रोहतक को निर्देश दिये गए कि वे सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम का निरीक्षण करें। सभी सरकारी व प्राइवेट नर्सिंग होम के कूड़े के निष्पादन व Bio-Medical Waste का निष्पादन का विवरण भी होना चाहिए, ताकि उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किये जा सकें।
4. नगर निगम व नगर पालिकाओं को निर्देश दिये गए कि वे बारात घर, कैटरिंग सर्विस वालों, होटल बैंकट हाल, मठों, आश्रमों का निरीक्षण करते हुए नोटिस जारी करें कि कोई भी प्रतिबन्धित

- प्लास्टिक/पोलीथीन का प्रयोग न करें। प्रयोग करने वालों के खिलाफ चालान काटें जाए व बार उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए।
5. PGIMS/MDU/ सभी बड़े शिक्षण संस्थानों के गीले-सूखे कूड़े के निष्पादन की जांच करते हुए उल्लंघना करने वालों के खिलाफ चालान सुनिश्चित हो।
  6. Sewage Waste के Scientific Disposal के लिए नगर निगम व नगर पालिकाएं नोटिफिकेशन जारी करते हुए टैंकरों का रजिस्ट्रेशन दिनांक 30.06.2019 तक सुनिश्चित करें। जो टैंकर बिना रजिस्ट्रेशन व निर्धारित स्थल के अतिरिक्त Sewage डालते पाए जाए उन पर जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, नगर निगम/नगर पालिका जुर्माना करना सुनिश्चित करें।
  7. नगर निगम/नगर पालिकाएं सभी प्रकार के कूड़े/कचरे के नियमों, जुर्मानों के संबंध में प्रचार करें, लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें।
  8. उपायुक्त महोदय ने नगराधीश, रोहतक को निर्देश दिए कि वे सभी विभागाध्यक्ष से उनके कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रमाण पत्र की उन द्वारा गीला व सूखा कूड़ा अलग-अलग एकत्रित किया जाता है तथा प्रतिबन्धित प्लास्टिक पोलीथीन का प्रयोग नहीं करते दिनांक 8.7.2019 तक प्राप्त करें। इसमें उनके निवास स्थान का पता व मोबाईल न0. भी होना चाहिए। जुलाई में नगराधीश रोहतक व नगर निगम रोहतक के अधिकारी सभी का निरीक्षण करेंगे। इन निर्देशों के अवहेलना करने वालों, कूड़े का निष्पादन नियमानुसार न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों पर जुर्माने के साथ-साथ सरकार को भी उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जायेगा।
  9. उपायुक्त महोदय द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कूड़े निष्पादन पर कोई कार्रवाई न करने पर असंतोष जाहिर किया तथा उनको आदेश दिये कि वे दिनांक 30.06.2019 तक अपने सैक्टरों, कार्यालयों में गीले व सूखे कूड़े के लिए अलग-अलग कूड़ेदान व उनका निष्पादन सुनिश्चित करें।
  10. नगर निगम तथा नगर पालिकाओं को C & D Waste के लिए स्थल निर्धारित करने तथा सड़कों पर C & D Waste डालने वालों के खिलाफ जुर्माना करने के निर्देश दिए।

  
 उपायुक्त,  
 रोहतक।

पृ0 क्रमांक 1179-1201

दिनांक 19-6-2019

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजते हुए लिखा जाता है कि मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार व NGT द्वारा इनकी नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। अतः इसे गम्भीरता से लेते हुए दिए गए निर्देशानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें:-

1. महापौर, नगर निगम रोहतक।
2. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
3. आयुक्त, नगर निगम रोहतक।
4. नगराधीश, रोहतक।
5. सम्पदा अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
6. रजिस्ट्रार, महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
7. रजिस्ट्रार, PGIMS, रोहतक।
8. CMO, रोहतक।
9. R.O., हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण कन्ट्रोल बोर्ड, बहादुरगढ़।
10. डा0 सुखबीर, Dy. M.S., PGIMS, रोहतक।
11. अधीक्षक अभियन्ता, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।

12. अधीक्षक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
13. अधीक्षक अभियन्ता, सिचाई विभाग, रोहतक।
14. AGM, HSIIDC, Rohtak.
15. जिला नगर योजनाकार, टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग, रोहतक।
16. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, रोहतक।
17. कार्यकारी अभियन्ता, डिविजन न. 1, 2 व 3, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा मार्ग शाखा) रोहतक।
18. कार्यकारी अभियन्ता, HSAMB, Rohtak.
19. कार्यकारी अभियन्ता (मुख्यालय), नगर निगम रोहतक।
20. कार्यकारी अभियन्ता - I & II, नगर निगम रोहतक।
21. सचिव, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
22. प्रधान, नगर पालिका, महम, कलानौर व सांपला।
23. सचिव, मार्केट कमेटी, रोहतक।

  
उपायुक्त,  
रोहतक।

दिनांक 19-08-2019

पृ० क्रमांक 1202-05

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. महानिदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, पंचकुला।
3. जिला एवम् सत्र न्यायाधीश, रोहतक।
4. पुलिस अधीक्षक, रोहतक।

  
उपायुक्त,  
रोहतक।